भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †197

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन में हुई भारी वृद्धि का आर्थिक प्रभाव

†197. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन में हुई भारी वृद्धि के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में इस विकास को बनाए रखने और इसे और बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की सिक्किम राज्य में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ती पर्यटक संख्या को समायोजित करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचे में और सुधार करने तथा सतत पर्यटन पहल शुरू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो उनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की सिक्किम में ट्रैकिंग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई वर्तमान परियोजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): वर्ष 2014 से 2025 के दौरान, हिमालयी राज्यों में पर्यटक यात्राओं की संख्या वर्ष 2014 में 10.55 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025 में 40.78 करोड़ हो गई है, जो 286% की वृद्धि दर्शाती है। पर्यटक यात्राओं की बेहतर संख्या ने उच्च रोजगार और आर्थिक अवसर उत्पन्न किए हैं।

(ख): पर्यटन मंत्रालय समग्र रूप से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित करता है। मंत्रालय उत्तर-पूर्वी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का वार्षिक आयोजन करता है, ताकि इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय

खरीदारों, विचार-निर्माताओं, इन्फ्लुएंसर्स आदि के सामने प्रदर्शित किया जा सके। देश और विदेश के हितधारकों के लिए साहसिक पर्यटन सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को उजागर करने के लिए सिक्किम राज्य के गंगटोक में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट (आईटीएम) का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसके अलावा, इस वृद्धि को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने साहसिक पर्यटन तथा सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है।

(ग) से (ङ): पर्यटन स्थलों और उत्पादों को चिह्नित कर उनका विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, जबकि पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' और 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' जैसी अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सिक्किम सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके इन प्रयासों को संपूरित करता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसएएससीआई योजना के तहत सिक्किम राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में नामची में स्काईवॉक, भालेढुंगा, यांगंग और नाथुला में बॉर्डर एक्सपीरियंस शामिल हैं। इन परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि में तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, सीबीडीडी उप-योजना के तहत, "काबी क्रॉनिकल्स: ए जर्नी थ्रू यूनिटी एंड हेरिटेज" और "इकोज़ ऑफ वेलर: द ग्नाथंग वैली एक्सपीरियंस" नामक परियोजनाओं को भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मंजूरी दी गई थी।
